

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अदालत महाराष्ट्र हाईकोर्ट मुकाम मुंबई  
प्राथमिक  
शानकुमार खोस बनाम प्रवाचनसूची  
क्रमांक-2 क्रमांक-27

दिनांक मुकदमा शानकुमार खोस 212 रीट Act 2109 क्रमांक सी. 142/2017

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मध्य इतिहासिक ज्ञान	न्याय व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुये
-------------	---------------------------------------	---

दि 14-10-19  
 प्रवाचनसूची पेश हुई। वकील उमरप  
 पेशावली/उमरप/वकील शानकुमार से  
 क्रमांक सी. 1 का 3 व 5 ला 9 व 11 ला 17  
 क्रमांक 22 ला 25 को रद्द करके प्रवाचनसूची  
 पेशावली से 2109 क्रमांक प्रवाचनसूची प्रवाचन  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची को उमरप  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची सी. 5 व 8 के तहत  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची से 2109 क्रमांक  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 22 ला 4 सीपीसी के प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची दि 29-11-19 को पेश  
 हो।

दि 29-11-19  
**अकारण अधिवक्ता उपायुक्त**  
**राज साहब**  
**वतः पत्रावली इलतबा होकर दिनांक**  
**7-1-20 को पेश हो।**

दि 7-1-2020  
 पत्रावली पेश हुई। वकील  
 उमरप पेशकार तथा प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 उमरप प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची 08 क्रमांक प्रवाचनसूची  
 तथा प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची 22 ला 4 सीपीसी  
 तथा प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची 212 रीट Act  
 पर प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची  
 प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची प्रवाचनसूची

Continue Page

पूर्वसे श्री रेफरेंस पर हुंरही अर्थात् से  
 जयलब्ध छंद करना व्यापारिक नदी  
 हुंरसंसारन चार्जमपर फादेश 8 निग। हीपीसी  
 को चलाने का छोड़ें अर्थात् नदी हुंर से  
 व्यापारिक से खारीज किया जाता है (नदी)  
 उपपत्र फादेश 22 निग 4 हीपीसी का विचारन  
 मूल वादको मुतावतुन के विचार पर  
 निस्वारीत करने हेतु प्रतिवादी सं. 10 हुंरके  
 हरि सिंह पर उम्मेद सिर के भाग हुंर - के  
 वारिसदात प्रतिवादी सं. 10/1 मडेइर सिंह  
 पूरा हरि सिंह तथा प्रतिवादी सं. 10/2 श्रीमल  
 उमकाथिन हरि सिंह को रेफरेंस पर हुंर  
 लगे व्यापारिक लगे से वापस कर लिये  
 फादेश 22 निग 4 हीपीसी का व्यापारिक से  
 खारीज किया जाता है विचारन हुंर  
 से वाद मुतावतुन मुतावतुन के उमकाथिन  
 संयुक्त खालदात तथा सहस्रके हुंर  
 रेफरेंस अर्थात् से उपपत्र फादेश 212 R.T.A. के  
 का हीपीसी किया जाता है तथा उमकाथिन  
 को अर्थात् हीपीसी के जयके वाद किया  
 जाता है हीपीसी अर्थात् (अर्थात्) लगे  
 रेफरेंस से विचार वाद मुतावतुन मुतावतुन  
 अंश. 219, 220, 221, 222, 336, 338, 339,  
 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349,  
 350, 355 पुनः अर्थात् 17 हुंर रेफरेंस  
 8.01.00 हुंरके पर हीपीसी रेफरेंस  
 की यथास्थित बनाये रखे। फादेश सरे  
 हुंरके अर्थात्। यथावत के लल मुतावतुन  
 हुंरके अर्थात् से काम हो।

सहायक लेक्टर  
 सिरोही (राज.)

